

2018/00144

RCMS
R

प्रपत्र-6

“खाता दुरुस्ती आवेदन पत्र”

(रा. भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

श्रीमान् उप खण्ड अधिकारी महोदय

जमान लं 29/12 दि. 11-5-18

चौहान

विषय :- राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्ती के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम कुन्दनपुरा की जमाबन्दी

संवत् 2072-75 खाता संख्या 90 में -

अशुद्ध नाम मुराद अली वलद जामीन है
शुद्ध नाम मुराद अली वलद जामन है

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

मुराद अली / पाहन हलद के पत्नी अलता देवी
मुराद अली के माता अलता देवी मुराद अली के पाहन अली के प्रार्थी
अलता देवी के माता अलता देवी के पाहन अली के माता

दिनांक

मुराद अली



मुराद अली

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

517. निवेदन है कि ग्राम कुवदनपुरा में जमावड़ी संवत् 2072-75 के क्र. 513/368 में मुरादअली कलद जामीन नाम है जैके प्राणी के आधार कार्ड, राशनकार्ड व परिवार-पत्र में मुरादअली कलद जामिन है। मुरादअली कलद जामीन की जगह मुरादअली कलद जामिन नाम शुरू करने की अनुशंसा की जाती है।

[Signature]
14/5/18
प. सिका

[Signature]
14/5/18

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

518. पटवारी हलका हदद व गल्ल हदद के रिपोर्ट अर्थात् प्राणी मुरादअली व. पामर का राशनकार्ड जमावड़ी संवत् 2072-75 क्र. 690 क्र. 513/368 के मुरादअली व. जामीन पर है जो कसबू के अंतर्गत राशनकार्ड माताका कार्ड का दाता है कि मुरादअली व. पामर शुरू किया जावे।

[Signature]
14/5/18

आदेश

तहसीलदार (भू.अ.) सेरुवा

तहसीलदार सेरुवा, गल्ल सेरुवा, पटवारी सेरुवा से प्राप्त ग्राम रिपोर्ट एवं प्राणी द्वारा पेश दस्तावेजों के आधार पर प्राणी का प्राणना पत्र (कीकाट) का प्राणी के नाम मुरादअली पुत्र जामीन के स्थान पर उलझा हुआ नाम "मुरादअली पुत्र जामिन" शुरू करने का आदेश दिया जाता है। उपरोक्त आदेश तहसीलदार सेरुवा के राजस्व कार्ड में अमल प्रामद करने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फलन शुरू होकर वाचिल दफ्तर है।

उप खण्ड अधिकारी

[Signature]
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

